भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष संख्या : 0141-2232341
Telephone No. : 0141-2232341
फैक्स संख्या : 0141-2236286
Fax No. : 0141-2236286
Website:- www.surveyofindia.gov.in
E-mail:- zone.west.soi@gov.in

कार्यालय अपर महासर्वेक्षक
पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग
OFFICE OF THE ADDITIONAL SURVEYOR GENERAL
WESTERN ZONE, SURVEY OF INDIA
ग्रेट आर्क भवन-1, सेक्टर-10
GREAT ARC BHAWAN-1, SECTOR-10
विद्याधरनगर, जयपुर-302039
VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302039

पश्चिमी क्षेत्र नेमी आदेश प्रशा. 05/37-जी-9/प.क्षे. दिनांक 04 अक्टूबर, 2023

विषय :- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021)

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशनभोगी मंत्रालय, पेंशन क्ल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी.डब्ल्यू (बी) दिनांक 03 मार्च 2023 के पैरा-4 के अनुसार 22-12-2003 से पूर्व भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्ति के सापेक्ष भर्ती किए गये इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को (विकल्प पत्र के अनुसार) उनके सामने दशाई गयी तिथि से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) में स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम व पदनाम	पद जिसके लिए विज्ञापित / अधिसूचित किया गया	विज्ञापित /अधिसूचित की दिनांक	कार्यालय का नाम जहाँ चयन हुआ	नियुक्ति पत्र संख्या एवं दिनांक	नियुक्ति की दिनांक	एन.पी.एस. से ओ.पी.एस (पेंशन) नियम-1972(अब 2021) में स्थानान्तरित की दिनांक	टिपण्णी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री झलक कुमार शर्मा, एमटीएस	संभाव्य खलासी	# भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या 3-18130/1869-ए(प.स.) दिनांक 03.11.2003 एवं अपर महासर्वेक्षक, राज. भू-स्थानिक डाटा केन्द्र , जयपुर का पत्र संख्या1008/11-जी-23(सहायता) दिनांक 20.11.2003	संख्या 4 पार्टी (प.स.) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अजमेर	कार्यालय संख्या 04 पार्टी (प.स.) अजमेर (राज.) का पत्र संख्या 649/11-जी-23 दिनांक 31 मार्च, 2004	01-04-2004	01-04-2010	# नोट, कॉलम 3 के संबंध में 1. - उल्लिखत सभी पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और उक्त पत्र के संबंध में राजस्थान जीडीसी ने उनके पत्र संख्या 7207/ 46-सी-1 दिनांक 24 अगस्त, 2023 के अनुसार सूचित किया है कि पूर्ववर्ती सं. 4 पार्टी (प.स.) के रिकार्ड की छटाई (weeding out) पहले ही की जा चुकी है। 2. - SGO/RGDC/Service-Book में भी वे पत्र उपलब्ध नही है। 3. - सेवा पंजिका मे संलग्न पूर्ववर्ती सं. 4 पार्टी (प.स.) के पत्र संख्या 649/11-जी-23, दिनांक 31.03.2003 में भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय पत्र संख्या 3-18130/1869-ए (प.स.), दिनांक 03.11.2003 एवं निदेशक, प.स. के पत्र संख्या सी-10028/11-जी-23, दिनांक 20.11.2003 के प्राधिकार का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भर्ती के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जॉच के लिए प्रपत्र भी सेवा पंजी में संलग्न है जो कि 22.12.2003 को तत्कालीन प्रभारी अधिकारी सं. 4 पार्टी द्वारा जारी किया गया था।

प्राधिकार :- 1- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या स्था.1-2677/862-Policy(Pension) दिनांक 26 मई, 2023

2- भारत सरकार कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का सं.57 /05/20221 -पी.डब्ल्यू(वी) दिनांक 03 मार्च, 2023

2- सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन करने से के लिए विकल्प प्रस्तुत किया गया है। संबंधित सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किये जाने के लिए सभी शर्तो को पूरा करते है। इस संबंध में आवश्यक आदेश अधिकतम 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किये जायेगें। फलस्वरूप उक्त सरकारी कार्मिक का एनपीएस खाता बंद कर दिया जायेगा।

3- सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेनी होगी । सरकारी कार्मिक के एनपीएस खाते में कोर्पस (curpus) के लेखाकरण के संबंध में कार्रवाई लेखा महानियन्त्रक (एस.सी.ए.) ने दिनांक 14.11.2019 के पत्र सं. 1(7)(2)/2010/ cla./TA III/390 तथा दिनांक 23.12.2022 के आई.डी. नोट सं. टी.ए.-3-6/3/2020-टी.ए.-।।।/सी.एस.-4308/450 में दिये स्पष्टीकरण के अनुसार की जायेगी।

''अंग्रेजी अनुवाद अलग से जारी किया जा रहा है''
English version will follow.

Signed by Sanjay Kumar
Date: 09-10-2023 10:20:06
Reason: Approved

(संजय कुमार)
निदेशक ,
पश्चिमी क्षेत्र ।
(नियुक्ति प्राधिकारी)
कृते अपर महासर्वेक्षक,पश्चिमी क्षेत्र।

प्रतिलिपि :-

1- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय देहरादून को सूचनार्थ।

2- निदेशक, राज.जीडीसी, जयपुर को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वह स्थापना एवं लेखा अधिकरी को निर्देश दें कि क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर के पूर्व अनुमोदन (prior concurred) प्राप्त कर आदेश को लागू करें।

3- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकरी, जयपुर को सूचनार्थ।

4- फाईल 37-जी-9/प.क्षे.